रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2003/फाल्गुन 7, 1924

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2003/PHALGUNA 7, 1924

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में, अनुसूची 2 में क्रम संख्यांक 1 एलपारजोलाम और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. वी/3/2002-एन.सी. II]

श्यामला मोहन, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14-11-1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 786(अ) तारीख 26-10-1992, का.आ. 599(अ) तारीख 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ) तारीख 14-12-1993, सा.का.नि. 543(अ) तारीख 24-10-1994, सा.का.नि. 82 तारीख 14-2-1995, सा.का.नि. 556(अ) तारीख 14-7-1995, सा.का.नि. 25(अ) तारीख 12-1-1996, सा.का.नि. 509 तारीख 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ) तारीख 25-6-1997, सा.का.नि. 214(अ) तारीख 19-3-2002 और सा.का.नि. 763(अ) तारीख 14-11-2002 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2003

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 in Schedule II, serial number 1 Alprazolam and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. V/3/2002-NC.-II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Foot Note :—Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and amended by S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543(E) dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E) dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509 dated 4-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002 and G.S.R. 763(E) dated 14-11-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.